(103)

संख्या–879 / बयालिस–2020–02 / एस0पी0 / 52 / 82

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 15 जून 2020

विषय– तदर्थ प्रशिक्षकों (अंशकालिक) का चयन एवं मानदेय के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–जी0–490 / संगठन / अंश0मानदेय पत्रा0 / 2019–20, दिनांक 24.07.2019 एवं पत्र संख्या–जी0–557 / संगठन / अंश0मानदेय पत्रा0 / 2019–20, दिनांक 06.08.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–3991 / बयालिस–2001–2 / एस0पी0–52 / 89, दिनांक 14 दिसम्बर, 2001, शासनादेश संख्या–861 / बयालिस–2006–2 / एस0पी0–52 / 89, दिनांक 24 फरवरी, 2006, शासनादेश संख्या–1453 / बयालिस–2011–2 / एस0पी0–52 / 89, दिनांक 25 अगस्त, 2011 एवं शासनादेश संख्या–3396 / बयालिस–2014–02 / एस0पी0–52 / 82, दिनांक 02 फरवरी, 2015 द्वारा अंशकालिक प्रशिक्षकों को दी जा रही मानदेय की दरों को संशोधित करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरणानुसार मानदेय की दरों को पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क0	प्रशिक्षकों का स्तर	प्रस्तावित मानदेय रू0
1	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी एवं एन0आई0एस0 स्तर के प्रशिक्षक	30,000.00
2	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी प्रशिक्षक	27,000.00
3	राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी प्रशिक्षक	25,000.00
4	एन0आई0एस0 / एल0एन0आई0पी0ई डिप्लोमा खिलाडी प्रशिक्षक	25,000.00
5	राज्य स्तर / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर (जूनियर वर्ग) के खिलाड़ी प्रशिक्षक	20,000.00

2– तदर्थ प्रशिक्षकों (अंशकालिक) को दिए जाने वाले मानदेय की संशोधित दरें 01 अप्रैल, 2020 से लागू मानी जाएगी।

–2

GO(A)

102

3– इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 14.12.2001 तथा शासनादेश दिनांक 24.02.2006, दिनांक 25.08.2011 एवं दिनांक 02.02.2015 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्रांक ई–5–799/दस/2020, दिनांक 12 जून, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहे हैं।

भवदीया,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–879(1)/बयालिस–2020–तद्दिनांक –

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उ0 प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5
3– नियोजन अनुभाग–4
4– वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1 व 2
5– गार्ड फाइल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
उप सचिव।